

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष (2018-19) के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में बड़े परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल (55,673 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से 17 वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20 वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2019 (प्रक्षिप्त) में 0.74 करोड़ हो गई, जिसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता (2011 की जनगणना अनुसार) आठ प्रतिशत रही थी (अखिल भारतीय औसत 22 प्रतिशत है)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई समयावधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी अंतिम (निर्णायक) वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य में जीवन जीने के स्तर की महत्वपूर्ण संकेतक है। चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां तालिका 1.1 में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां (चालू एवं स्थिर मूल्य)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17 [@]	2017-18 [#]	2018-19 ^{\$}
चालू मूल्य (आधार वर्ष-2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,03,772	1,14,239	1,25,122	1,36,542	1,51,835
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
उत्तराखण्ड	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
जम्मू और कश्मीर	2.87	19.11	7.00	10.46	11.52
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,79,857	1,40,77,586
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	89,060	96,274	1,03,038	1,09,748	1,17,751
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.5	8.1	7.0	6.5	7.3

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

@ - अंतिम # - त्वरित \$ - अग्रिम अनुमान।


चालू मूल्यों पर 2018-19 में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उत्तराखंड से अधिक थी परन्तु जम्मू और कश्मीर से कम थी, जबकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बराबर रही।

स्थिर मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से थोड़ी अधिक थी।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

सामान्यतः सरकारी वित्त में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी खातों की संरचना



तालिका 1.2 विगत वर्ष (2017-18) की तुलना में चालू वर्ष (2018-19) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत करता है:

तालिका 1.2: 2018-19 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19
प्रवर्ग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	27,367	30,950	राजस्व व्यय	27,053	29,442
कर राजस्व	7,108	7,573	सामान्य सेवाएं	11,009	11,438
कर-भिन्न राजस्व	2,364	2,830	सामाजिक सेवाएं	10,337	11,482
संघीय करों/शुल्कों का राज्यांश	4801	5,430	आर्थिक सेवाएं	5,697	6,512
भारत सरकार से अनुदान	13,094	15,117	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	35	9	पूंजीगत परिव्यय	3,756	4,583
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	40	22	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	503	468
लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,600	6,427	लोक ऋण की चुकौती	3,500	4,673
आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य	आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य
लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,680	16,121	लोक लेखा संवितरण	13,043	14,493
अथ रोकड़ शेष	316	183	अंत रोकड़ शेष	183	53
योग	48,038	53,712	योग	48,038	53,712

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.4 (भाग-क) विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ-साथ सकल राजकोषीय प्रास्थिति का विवरण प्रदान करता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की प्रतिशत संरचना को चार्ट 1.2 एवं 1.2 (क) में दिया गया है:



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया, जिसे बाद में राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता को सुनिश्चित करने हेतु 2011 के अधिनियम संख्या 25 से संशोधित किया गया (परिशिष्ट 1.2 भाग ख)। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार संशोधित किया जाना अपेक्षित था (2015-20)¹। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों के प्रति, बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्रदत्त प्रमुख राजकोषीय परिवर्ती कारकों पर राज्य सरकार का प्रदर्शन तालिका 1.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्ती कारक

राजकोषीय परिवर्ती कारक	2018-19				
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक आंकड़ों पर प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस.# में प्रस्तावित लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-) 3,167.75	1,508.21	लक्ष्य लब्ध	(+) 147.61
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-) 5.16	(-) 2.31	लक्ष्य लब्ध	(+) 2.85
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	31.99	35.00	35.76	(-) 3.77	(-) 0.76


स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे # मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी * इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

¹ (i) राजकोषीय घाटे पर वैधानिक सीमा को लचीलापन प्रदान करने के लिए; (ii) वार्षिक बजट प्रावधान में उचित बहुखण्डों को नए पूंजीगत कार्यों की संस्वीकृति पर अधिकतम वैधानिक सीमा प्रदान करने के लिए।

- राज्य ने राजस्व घाटे को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर केन्द्रीय विचलनों में वृद्धि के कारण 14वें वित्त आयोग / राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित अधिशेष को बनाए रखा।
- राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.31 प्रतिशत था, जोकि लक्ष्य के भीतर था।
- राजस्व घाटा/ अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे हेतु बजट / मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित लक्ष्यों तथा वास्तविक आंकड़ों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई; बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ₹ 3,168 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति ₹1,508 करोड़ का राजस्व अधिशेष पाया गया; बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में 5.16 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे के प्रति 2.31 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा हुआ। राजस्व घाटे/अधिशेष के अनुमानित व वास्तविक आंकड़ों के मध्य आया बड़ा अंतर, बजट प्राक्कलनों की अपेक्षा विकासात्मक राजस्व व्यय में बहुत ही कम राशि खर्च होने के कारण हुआ (इस बारे में परिच्छेद 1.7.2 में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है)। यह इंगित करता है, कि या तो बजट बनाते समय राज्य सरकार ने अनुमानित व्यय का सही आकलन नहीं किया था अथवा राज्य सरकार के पास खर्च करने की क्षमता का अभाव था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया देयताओं का अनुपात 35.76 प्रतिशत रहा जो 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के साथ-साथ बजट व मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित अनुमानों से अधिक था।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

वर्ष 2018-19 हेतु कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.3 में दर्शाए गये हैं।



स्रोत: एम.टी.एफ.पी.एस. (मार्च 2018) तथा 2018-19 के वित्त लेखे

- राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत संग्रह, बजट प्राक्कलन (₹ 30,400 करोड़) से ₹ 550 करोड़ (दो प्रतिशत) अधिक था।

- कर राजस्व के अंतर्गत संग्रह, ₹ 8,248 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति ₹ 7,573 करोड़ था। ₹ 675 करोड़ (आठ प्रतिशत) की गिरावट का मुख्य कारण मूल्य वर्धित कर (वैट) (₹ 1,320 करोड़ के प्रति ₹ 1,185 करोड़) तथा वस्तु एवं सेवा कर (₹ 4,064 करोड़ के प्रति ₹ 3,343 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियां थीं।
- कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत संग्रह, बजट प्राक्कलन से ₹ 849 करोड़ (43 प्रतिशत) अधिक था।
- राजस्व व्यय (₹ 29,442 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 33,568 करोड़) से ₹ 4,126 करोड़ (12 प्रतिशत) कम था।
- पूंजीगत व्यय बजट प्राक्कलन से ₹ 343 करोड़ (आठ प्रतिशत) अधिक था जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ।
- ₹ 3,168 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति राज्य में ₹ 1,508 करोड़ का राजस्व अधिशेष रहा। इसका मुख्य कारण विकासात्मक राजस्व व्यय, अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं (परिच्छेद 1.7.2 में विस्तार से चर्चा की गई है) के अंतर्गत कम व्यय रहा।
- ₹ 3,512 करोड़ का राजकोषीय घाटा बजट प्राक्कलन (₹ 7,820 करोड़) से ₹ 4,308 करोड़ कम था। प्राथमिक अधिशेष (₹ 510 करोड़) बजट प्राक्कलन के ₹ 3,560 करोड़ के प्राथमिक घाटे से ₹ 4,070 करोड़ अधिक रहा।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों के मध्य भारी अंतर था जो इंगित करता है कि राज्य सरकार ने बजट बनाते समय अनुमानित प्राप्तियों / व्ययों का उचित रूप से आंकलन नहीं किया था।

1.1.4 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बंध में राजकोषीय अस्थिरता की मूल्य सापेक्षता अथवा अवस्था अनुक्रियाशीलता की अवस्था को इंगित करता है। सकल राज्य घरेलू राज्य उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों, राज्य का स्वयं की कर प्राप्तियां, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्राप्तियों, व्यय एवं राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,03,772	1,14,239	1,25,122	1,36,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.57	31.36	12.05	4.20	13.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में राजस्व प्राप्तियों का उत्प्लावकता अनुपात	1.43	3.11	1.26	0.46	1.17
राज्य का स्वयं का कर राजस्व					
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	5,940	6,696	7,039	7,108	7,573
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.99	12.73	5.12	0.98	6.54
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात	1.68	1.26	0.54	0.11	0.58

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल व्यय					
वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	22,734	25,630	32,133	31,312	34,493
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.17	12.74	25.37	(-)2.56	10.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में कुल व्यय की उत्प्लावकता	1.60	1.26	2.66	(-)0.28	0.91
राजकोषीय देयताएं					
वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	38,192	41,197	47,244	51,030	54,299
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.71	7.87	14.68	8.01	6.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	1.34	0.78	1.54	0.88	0.57


स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।


1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के पश्चात्, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि-दर 5.12 प्रतिशत से 0.98 प्रतिशत तक गिर गई तथा वर्ष 2017-18 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 69 करोड़ की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि, 2018-19 के दौरान, राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 465 करोड़ (6.54 प्रतिशत) बढ़ा। दूसरी ओर, 2016-19 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अर्थात् क्रमशः 9.53, 9.13 तथा 11.20 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर से अधिक थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बंध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की न्यून उत्प्लावकता चिंता का विषय है। 2018-19 के दौरान कुल व्यय एवं राजकोषीय देयताओं की वृद्धि-दर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर से कम थी।

1.2 राज्य के संसाधन


राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, विनिवेशों से आय, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.2 वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.5, 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। चार्ट 1.4 व 1.5 (क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों के संसाधनों की संरचना दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2018-19 के दौरान राज्य के संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।



वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य की कुल-प्राप्तियों में ₹ 7,894 करोड़ (25.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति में ₹ 13,107 करोड़ (73.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, पूंजीगत प्राप्ति जिसे ऋणों व अग्रिमों की वसूली एवं लोक ऋण शामिल थे, में ₹ 5,110 करोड़ (44.17 प्रतिशत) की कमी हुई तथा निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 103 करोड़ (5.95 प्रतिशत) घट गई।

कुल प्राप्ति ₹ 34,679 करोड़ (2017-18) से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 39,036 करोड़ हो गई। इसका मुख्य कारण गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय अन्तरणों (संघीय करों व शुल्कों से राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान) से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि रही।

2014-19 की पांच वर्ष की अवधि में, कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का अंश 57.30 प्रतिशत से बढ़कर 79.29 प्रतिशत हो गया, निवल लोक लेखा प्राप्ति का अंश 5.56 से घटकर 4.17 प्रतिशत हो गया तथा पूंजीगत प्राप्ति का अंश (ऋण सहित) 37.15 प्रतिशत से 16.54 प्रतिशत हो गया।

1.2.1 भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे अंतरित की गई निधियां

समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु बड़ी मात्रा में निधियों का अन्तरण भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से न करते हुए सीधे किए जा रहा था।

वर्ष 2014-15 से इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद, वर्ष 2014-19 के दौरान अभी भी निधियां राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे ही अन्तरित की जाती रही। वर्ष 2018-19 के दौरान निधियों का यह सीधा अन्तरण विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 901.83 करोड़ से ₹ 962.08 करोड़ तक बढ़ गया (परिशिष्ट 1.5)।

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 962.08 करोड़ की निधियों के सीधे अन्तरण के साथ, राज्य के संसाधनों की कुल उपलब्धता को उस सीमा तक कम करके आंका गया।


1.2.2 भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 के तहत नियोजकों द्वारा निर्माण कार्य पर खर्च हुई लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्रित उपकर निर्माण कार्य श्रमिकों हेतु बनाई कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2018 तक बोर्ड के पास ₹ 515.76 करोड़ की कुल निधियां उपलब्ध थी। 2018-19 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उपकर, ब्याज इत्यादि के रूप में ₹ 102.24 करोड़ प्राप्त किए, तथा वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 24.36 करोड़ सहित मात्र कुल ₹ 27.03 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2019 तक बोर्ड के पास ₹ 590.97 करोड़ की निधियां थी।


अप्रयुक्त निधियों की बड़ी धनराशि तथा धन की उपयोगिता की कम प्रतिशतता इंगित करती है कि या तो बोर्ड मौजूदा कल्याण योजनाओं पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा था अथवा बोर्ड निर्माण कार्य श्रमिकों के लाभार्थ नई कल्याण योजनाओं की अवधारणा नहीं बना रहा था।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

2014-19 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संघटन तथा प्रवृत्तियां परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गई हैं तथा चार्ट 1.6 व 1.6 (क) में भी दर्शाए गए हैं:



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।



राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 के ₹ 27,367 करोड़ से ₹ 3,583 करोड़ (13.09 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 30,950 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करों व कर-भिन्न सहित राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुई; जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश (18 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (49 प्रतिशत) से युक्त केन्द्रीय अंतरणों से समाविष्ट रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तालिका 1.5 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.57	31.36	12.05	4.20	13.09
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	5,940	6,696	7,039	7,108	7,573
राज्य के अपने करों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.99	12.73	5.12	0.98	6.54
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103,772	114,239	125,122	136,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.19	20.52	20.99	20.04	20.38
उत्प्लावकता अनुपात²					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.43	3.11	1.26	0.46	1.17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	1.68	1.26	0.54	0.11	0.58
राज्य के अपने कर के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.85	2.46	2.35	4.29	2.00

राजस्व प्राप्तियां 14.85 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि-दर से 2014-15 के ₹ 17,843 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 30,950 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-19 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 20 प्रतिशत के लगभग ही रहा। 2014-19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में विचलन 0.46 से 3.11 के मध्य रहा तथा गत वर्ष (0.46) की तुलना में 2018-19 में सुधार (1.17) का मुख्य कारण राज्य के कर-भिन्न राजस्व में बढ़ोतरी तथा बढ़ी हुई केन्द्रीय

² परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

निधियों का अन्तरण था। वर्ष 2016-19 के दौरान केन्द्रीय निधियों के उच्च विचलन के बावजूद राजस्व उत्प्लावकता पर प्रभाव आनुपातिक नहीं था क्योंकि उसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के करों में बहुत कम उत्प्लावकता थी जोकि, 2014-15 में 1.68 से घटकर 2018-19 में 0.58 से रह गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2018-19 में राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 1.6: वर्ष 2018-19 के दौरान प्रक्षेपों/प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों में प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों में प्रतिशत भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
कर राजस्व	13,747	8,248	7,573	(-) 44.91	(-) 8.18
कर-भिन्न राजस्व	2,373	1,981	2,830	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे।

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों से क्रमशः ₹ 6,174 करोड़ (44.91 प्रतिशत) तथा ₹ 675 करोड़ (8.18 प्रतिशत) कम थी। 14वें वित्त आयोग तथा बजट प्राक्कलनों/मध्यावधि राजकोषीय विवरणी में कर-भिन्न राजस्व हेतु बनाए गए प्राक्कलन वर्ष 2018-19 के दौरान लब्ध किये गए थे।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है जो 2014-19 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियों को भी दर्शाती है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	1,833	4,065	3,343(82)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,661(17)	3,993(9)	4,382(10)	2,526(-42)	1,320	1,185(-53)
राज्य आबकारी	1,044(10)	1,131(8)	1,308(16)	1,311(-)	1,426	1,482(13)
वाहन कर	220(6)	317(44)	280(-12)	367(31)	300	408(11)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	190(1)	206(8)	209(1)	229(10)	270	251(10)
विद्युत कर एवं शुल्क	333(74)	551(65)	372(-32)	361(-3)	350	487(35)
भू-राजस्व	17(70)	7(-59)	8(14)	17(112.5)	21	8(-53)
माल तथा यात्री कर	110(5)	115(5)	121(5)	112(-24)	145	104(-7)
अन्य कर	365(12)	376(3)	359(-5)	352(-2)	351	305(-13)
कुल कर राजस्व	5,940(16)	6,696(13)	7,039(5)	7,108(1)	8,248	7,573(7)


कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

वर्ष 2014-19 के दौरान कर राजस्व में ₹ 1,633 करोड़ (27.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान, कर राजस्व में 2017-18 की अपेक्षा ₹ 465 करोड़ (6.54 प्रतिशत) की दर्ज हुई वृद्धि का प्राथमिक कारण राज्य

वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण में भारी बढ़ोतरी हुई। राज्य सरकार ने बताया कि आबकारी नीति के बेहतर प्रवर्तन, उत्पादन लागत, लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक निगरानी तथा उत्पादन संयंत्रों के शुल्कों पर कठोर निगरानी रखने के कारण राज्य आबकारी के तहत प्राप्तियों (₹ 171 करोड़) वृद्धि हुई; अधिक वाहनों के पंजीकरण, पसंदीदा नम्बर अधिक जारी करने, तथा समग्र शुल्क के संशोधन के कारण वाहन कर के तहत संग्रहण (₹ 41 करोड़) में वृद्धि हुई; तथा विद्युत पर करों व शुल्कों के तहत प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ₹ 126 करोड़ बकाया विद्युत शुल्क जमा कराना था।

बजट प्राक्कलनों से तुलना करने पर, वर्ष 2018-19 के दौरान कर राजस्व के तहत वास्तविक संग्रहण, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के तहत बड़ी गिरावट के साथ, आठ प्रतिशत तक (₹ 675 करोड़) कम रहा।

चार्ट 1.7: उत्तराखण्ड, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब से हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से स्वयं के कर राजस्व की तुलना



हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व के अनुपात में 2015-16 से अब तक घटती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2018-19 में हिमाचल प्रदेश का अनुपात उत्तराखण्ड के अनुपात से अधिक तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के अनुपात से कम था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (राज्य को क्षतिपूर्ति) के अनुसार, राज्य को पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति, केन्द्र सरकार करेगी। यह क्षतिपूर्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति की लेखापरीक्षा द्वारा गणना के उपरांत ही राज्य को देय होगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को आधार वर्ष माना गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में आधार वर्ष राजस्व आंकड़ा ₹ 3,634 करोड़ (2015-16) था। राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) को लागू करके की जाएगी। वर्ष 2018-19 के लिए आधार वर्ष आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व ₹ 5,388 करोड़ था। वर्ष 2018-19 हेतु वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर वित्त लेखों में राजस्व आंकड़े दर्शाए गए हैं—राज्य वस्तु एवं सेवा कर, इनपुट कर क्रेडिट, राज्य वस्तु व सेवाकर का क्रॉस यूटिलाइजेशन, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर घटक के एकीकृत वस्तु

एवं सेवा कर अंतरण का आवंटन और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आवंटन। ₹ 5,388 करोड़ के अनुमानित राजस्व के प्रति, 2018-19 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,806 करोड़ रही तथा ₹ 2,037 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई, जो तालिका 1.8 में वर्णित है। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में ₹ 544.82 करोड़ की गिरावट हुई।

तालिका 1.8: वस्तु एवं सेवा कर का माह-वार (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) प्रभाव तथा प्राप्त की गई क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व जिसे संरक्षित किया जाना है*	वस्तु एवं सेवा कर** के पूर्व संग्रहित कर	संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अनंतिम आवंटन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	घाटा/अधिशेष
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}
अप्रैल-18	449	2.19	134.88	100.02	237.09	--	211.91
मई-18	449	2.18	117.30	117.63	237.11	184	27.89
जून-18	449	2.27	127.98	120.38	250.63	336	-137.63
जुलाई-18	449	1.68	130.74	108.30	240.72	225	-16.72
अगस्त-18	449	2.45	121.64	103.99	228.08	--	220.92
सितम्बर-18	449	1.78	117.38	102.99	222.15	354	-127.15
अक्टूबर-18	449	1.50	124.54	94.86	220.90	--	228.10
नवम्बर-18	449	0.57	142.58	124.64	267.79	315	-133.79
दिसम्बर-18	449	1.65	139.43	115.79	256.87	--	192.13
जनवरी-19	449	2.00	142.96	104.64	249.60	330	-130.60
फरवरी-19	449	2.45	132.58	100.18	235.21	--	213.79
मार्च-19	449	2.02	158.94	91.05	252.01	293	-96.01
	--	--	- 91.98#	--	-91.98	--	91.98
योग	5,388	22.74	1498.97	1,284.47	2806.18	2,037	544.82

* राजस्व की गणना, आधार वर्ष के अनुसार 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष को जोड़ते हुए 2015-16 के राजस्व आंकड़े को ध्यान में रखते हुए की गई।

** मूल्य वर्धित कर व केन्द्रीय बिक्री कर (प्रतिदाय को छोड़कर) समेत राजस्व जो पेट्रोलियम उत्पादों व मदिरा पर मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर, वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित सभी करों से प्राप्त हुआ।

2018-19 के दौरान ₹ 91.98 करोड़ की राशि वापस कर दी गई।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आवंटन

भारत सरकार, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के तहत राज्य सरकार को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का आबंटन करती है। राज्य कर विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर के अग्रिम आबंटन में ₹ 559.24 करोड़ संस्वीकृत किए तथा वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ₹107 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

वस्तु एवं सेवाकर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवाकर के संग्रहण का स्वचलनीकरण होने से, लेखाओं को प्रमाणित करने के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु यह आवश्यक है कि वह सभी लेने-देनों की नमूना-जांच को व्यापक-जांच में परिवर्तित करे। आंकड़ों हेतु आवश्यक अभिगम (एक्सेस) अभी प्रदान किया जाना है। सभी वस्तु एवं सेवाकर लेने-देनों से सम्बन्धित आंकड़ों हेतु अभिगम का ना होना, वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा करने में बाधा बनता है। अतः वर्ष 2018-19 में लेखाओं का प्रमाणीकरण, जैसे कि नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर, अपवादस्वरूप किया गया था, जब अभिलेख हस्तचालित (मैन्यूअली) रूप से अनुरक्षित किए जाते थे।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व


गत पांच वर्षों (2014-19) के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां तालिका 1.9 व चार्ट 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
ब्याज प्राप्तियां	101(-15)	94(-7)	146(55)	341(134)	313	386(13)
लाभांश तथा लाभ	171(66)	112(-35)	290(159)	256(-12)	117	182(-29)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें	1,809(16)	1,631(-10)	1,281(-21)	1,767(38)	1,551	2,262(28)
विविध सामान्य सेवाएं	3(-50)	19(533)	2(-89)	5(150)	--	21(320)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	161(3)	206(28)	112(-46)	181(62)	--	215(19)
वाणिकी तथा वन्य जीवन	116(-68)	34(-71)	19(-44)	47(147)	46	76(62)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36(38)	33(-8)	43(30)	40(-7)	--	51(28)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	162(46)	155(-4)	176(14)	441(151)	175	221(-50)
विद्युत	1,122(61)	924(-18)	651(-30)	688(6)	725	1,134(65)
अन्य	209(-)	260(24)	278(7)	365(32)	605	544(49)
योग	2,081(17)	1,837(-12)	1,717(-7)	2,364(38)	1,981	2,830(20)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।
स्रोत: सम्बंधित वर्षों हेतु वित्त लेखे।

चार्ट 1.8: कर भिन्न राजस्व 2014-15 से 2018-19



वर्ष 2014-19 के दौरान कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 749 करोड़ (35.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कर-भिन्न राजस्व 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 9.14 प्रतिशत था। गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 466 करोड़ (19.7 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत (₹ 446 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों के बढ़ने से हुई, जिसका कारण विद्युत शुल्क व मुफ्त विद्युत रायल्टी की बकाया राशि की प्राप्ति थी। राज्य वन विकास निगम द्वारा उपभोक्ताओं/खरीदारों को लकड़ी व अन्य उत्पाद की अधिक बिक्री के कारण वानिकी एवं वन्य जीव शीर्ष के अंतर्गत वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग के अंतर्गत खनन पट्टे को हस्तांतरण करने के एवज में ₹ 194.20 करोड़ के अग्रिम भुगतान तथा रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹ 14.72 करोड़ की प्राप्ति के कारण, वृद्धि हुई।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से योजनागत तथा अयोजनेत्तर वर्गीकरण को बंद किया तथा राज्यों को सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए प्रमुख शीर्ष-1601- सहायता अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का परिचालन किया। भारत सरकार से सहायता अनुदानों की प्रास्थिति तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदान	1,199	8,524	8,877	--	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	4,333	756	1,188	--	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	31	38	44	--	--
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान	1,615	1,978	3,055	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	--	--	--	3,590	4,010
वित्त आयोग अनुदान*	--	--	--	8,889	8,831
राज्य/विधान सभा सहित केन्द्र शासित प्रदेश को अन्य अंतरण/अनुदान	--	--	--	615	2,276
योग	7,178	11,296	13,164	13,094	15,117
विगत वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	13.68	57.37	16.54	(-)0.53	15.45
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	40	48	50	48	49

स्रोत: सम्बंधित वर्षों हेतु वित्त लेखे।

* वित्त आयोग अनुदानों में विचलन के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों तथा एस0डी0आर0एफ0 हेतु अनुदान शामिल है जिसे पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेत्तर अनुदानों के रूप में दर्शाया जाता था।

वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार के सहायता-अनुदानों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,023 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जिसमें वस्तु एवं सेवाकर लागू होने से उत्पन्न राजस्व की हानि की एवज में ₹ 2,037 करोड़ की क्षतिपूर्ति शामिल थी। 2014-19 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का भाग 40 से 50 प्रतिशत के मध्य था।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2018-19 में, गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय कर अन्तरणों में ₹ 628.46 करोड़ (13.09 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई, जैसा की तालिका 1.11 में दिया गया है। 2018-19 में केन्द्रीय कर अन्तरण राज्य के राजस्व का 18 प्रतिशत था।

तालिका 1.11: वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2017-18 के वास्तविक आंकड़े	2018-19 के वास्तविक आंकड़े	भिन्नता	
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	राज्यों को केन्द्रीय करों को सांझा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत	484.84	107.00	(-) 377.84	
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर		68.36	1,340.15	1,271.79	
निगम कर		1,470.67	1,888.31	417.64	
आयकर		1,241.88	1,390.66	148.78	
सम्पत्ति कर		(-)0.04	0.69	0.73	
सीमा शुल्क		484.70	384.89	(-) 99.81	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		506.50	255.78	(-) 250.72	
आय और व्यय पर अन्य कर		-	9.83	9.83	
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		-	2.80	2.80	
सेवा कर		544.40	49.66	(-) 494.74	
योग			4,801.31	5,429.77	628.46

14 वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यांश को 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में (सेवा कर को छोड़कर) तथा सेवा कर की निवल प्राप्तियों में राज्यांश को क्रमशः 0.713 प्रतिशत एवं 0.722 प्रतिशत पर स्थिर किया गया।

2018-19 में गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय कर अन्तरणों में वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 1,271.79 करोड़), निगम कर (₹ 417.64 करोड़) तथा आय कर (₹ 148.78 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि रहा।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, ऋण से प्राप्तियाँ (आंतरिक तथा भारत सरकार से) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित है। विगत पांच वर्षों (2014-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत प्राप्तियां	11,568	6,155	8,633	5,675	6,458
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	184.44	(-) 46.79	40.26	(-) 34.26	13.80
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	650*	शून्य	शून्य	35	9
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	41	26	30	40	22
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3,964.71	(-) 96.23	15.38	150.00	(-) 58.67
लोक ऋण प्राप्तियां	10,877	6,129	8,603	5,600	6,427
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां	10,752	6,079	8,502	5,518	6,360
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	125	50	101	82	67
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	168.57	(-) 43.65	40.37	(-) 34.91	(-) 14.77

* हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के पूंजी विनिवेश से प्राप्तियां।

पूंजीगत प्राप्तियां 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ से घट कर (भारतीय रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ अथशेष (कैश बैलेंस) को बनाए रखने हेतु अत्याधिक राशि के अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष (₹ 6,860 करोड़) लेने के कारण) 2015-16 में ₹ 6,155 करोड़ रह गई। वर्ष 2016-17 में उदय योजना हेतु डिस्काम को दिए गए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के समावेश के कारण इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में, पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 6,458 करोड़) में गत वर्ष (₹ 5,675 करोड़) की तुलना में ₹ 783 करोड़ की वृद्धि पाई गई। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता बैंक, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 22 करोड़ के ऋण व अग्रिम वसूल किए। इसके साथ ₹ 272 करोड़ ऋण व अग्रिमों पर ब्याज के प्राप्त हुए। 31 मार्च, 2019 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम की राशि ₹ 6,953 करोड़ थी। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति परिच्छेद 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार ली गई ऋण प्राप्तियां 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की निरन्तर प्राप्तियों के मुख्य स्रोत बने रहे।

तालिका 1.13: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों के विवरण

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
i) बाजार ऋण	2,345 (22)	2,450 (40)	3,400 (40)	4,600(84)	4,210(66)
ii) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,102 (10)	1,307 (22)	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	6,860 (64)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)	1,496(24)
iv) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)से ऋण	400 (4)	500 (8)	500 (6)	500(9)	626(10)
v) अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	45 (*)	37 (1)	2,931# (34)	18(*)	28(*)
आंतरिक ऋण प्राप्तियां (योग i से v)	10,752	6,079	8,502#	5,518	6,360
आंतरिक ऋण चुकौतियां	8,193 (76)	3,876 (64)	3,869 (46)	3,421 (62)	4,588(72)

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

* एक प्रतिशत से कम # उदय स्कीम के तहत डिस्कॉम को संवितरण हेतु उठाए ऋणों के ₹ 2,890.50 करोड़ शामिल हैं।

गत पांच वर्षों में बाजार ऋण, आंतरिक ऋण का मुख्य घटक था। वर्ष 2018-19 के दौरान, विगत वर्ष से बाजार ऋण ₹ 390 करोड़ घट गए क्योंकि राज्य सरकार ने नाबार्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण लिए। बाजार से उधार लेने की प्रवृत्तियों का परिच्छेद 1.10 में वर्णन है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

2018-19 के दौरान भारत सरकार से ₹ 67 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा ₹ 85 करोड़ की चुकौती कर दी गई थी। भारत सरकार के कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम गत वर्ष (₹ 1,079 करोड़) से 2018-19 के दौरान (₹ 1,062 करोड़) ₹ 17 करोड़ घट गए थे।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उच्चत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद शेष वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.14 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.14: 2017-18 और 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
क. - लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,768	3,754*	2,376	2,640	1,392	1,114
ख. - आरक्षित निधि	420	500	315	508	105	(-) 8
ग. - निक्षेप तथा अग्रिम	2,874	3,580	2,685	3,172	189	408
घ. - उच्चत तथा विविध	763	839	882	838	(-) 119	1
ङ. - प्रेषण	6,854	7,448	6,785	7,336	69	112
कुल	14,679	16,121	13,043	14,494	1,636	1,627

निवल लोक लेखा प्राप्तियां = लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण

* वास्तविक आंकड़ा: ₹ 3,753.46 करोड़


निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) वर्ष 2017-18 के ₹ 1,636 करोड़ से ₹ 9 करोड़ गिर कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,627 करोड़ हो गई। इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों की निवल उपलब्धता, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण हिस्सेदार रही।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, प्रतिबद्धित व्यय (वेतनों, ब्याज भुगतानों, सब्सिडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय) जैसे विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनका विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.9 से चार्ट-1.11 विगत पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है।




कुल व्यय

राज्य का कुल व्यय, 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वर्ष 2014-15 के ₹ 22,734 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 34,493 करोड़ तक बढ़ गया। 2018-19 के दौरान, इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,181 करोड़ की (10 प्रतिशत) वृद्धि हुई। कुल व्यय में वृद्धि, मुख्य रूप से विगत वर्ष की अपेक्षा राजस्व व्यय में ₹ 2,389 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय में ₹ 827 करोड़ की वृद्धि होने तथा ऋणों व अग्रिमों में ₹ 35 करोड़ घट जाने के कारण पाई गई।



वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 85.3 प्रतिशत था जो विगत वर्ष (2017-18) से कम था, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश (13.3 प्रतिशत) में विगत वर्ष से (12 प्रतिशत) एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान संवितरित ऋणों तथा अग्रिमों का अंश लगभग स्थिर रहा। व्यय



के इन घटकों के सापेक्ष अंश की गति, व्यय के प्रमुख घटकों में अंतरवर्षीय विचलन को दर्शाती है। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) जो अविभाज्य व्यय का हिस्सा बनता है, वर्ष 2017-18 के 35.77 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2018-19 में कुल व्यय का 33.82 प्रतिशत रह गया।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों (34 प्रतिशत) तथा पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों (43 प्रतिशत) के कारण हुआ। अविभाज्य व्यय³ यानि दोनों सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय, वर्ष 2017-18 के 62.59 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में 64.80 प्रतिशत हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों के अंश विगत पाँच वर्षों के दौरान लगभग स्थिर रहे, केवल 2016-17 (10.24 प्रतिशत) को छोड़कर जब उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 2,890.50 करोड़ राशि का ऋण संवितरित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का अंश, 1.36 प्रतिशत रहा।

1.6.1.1 राजस्व व्यय

तालिका 1.15 विगत पांच वर्षों (2014-19) में राजस्व व्यय की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.03	12.72	13.63	6.74	8.83
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व व्यय का प्रतिशत	19.07	19.52	20.26	19.81	19.39

वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व व्यय 7 से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ कर ₹ 9,655 करोड़ (48.79 प्रतिशत) हो गया, तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसका प्रतिशत 19.61 की वार्षिक औसत दर से बढ़ गया। राजस्व व्यय वर्ष 2017-18 (₹ 27,053 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 29,442 करोड़) में ₹ 2,389 करोड़ (नौ प्रतिशत) बढ़ा (चार्ट 1.9)। व्यय की यह वृद्धि मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के

³ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

अंतर्गत (₹ 1,145 करोड़ या 11 प्रतिशत की) तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 815 करोड़ या 14 प्रतिशत) हुई। राजस्व व्यय में समग्र वृद्धि प्राथमिक रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ब्याज भुगतान (₹ 234 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 378 करोड़); शिक्षा, क्रीडा, कला व संस्कृति (₹ 172 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 149 करोड़); तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां (₹ 386 करोड़) व ऊर्जा (₹ 211 करोड़) के अंतर्गत पाई गई।

चार्ट 1.10 दर्शाता है कि वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (79 से 87 प्रतिशत) में बना रहा तथा 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। राजस्व व्यय 2018-19 के दौरान, कुल व्यय का 85.3 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियां व राजस्व व्यय क्रमशः 20.38 एवं 19.39 प्रतिशत पर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 1,508 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत था।

1.6.1.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में पिछले पांच वर्षों में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई, जो वर्ष 2014-19 के दौरान ₹ 2,110 करोड़ (85 प्रतिशत) बढ़ गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 4,583 करोड़) पिछले वर्ष 2017-18 (₹ 3,756 करोड़) से ₹ 827 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 12 प्रतिशत से 2018-19 में 13.29 प्रतिशत तक बढ़ गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान वे प्रमुख क्षेत्र जहां पूंजीगत व्यय हुआ, उनमें सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत - जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 492 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 346 करोड़), शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति (₹ 327 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत - परिवहन (₹ 2,085 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 465 करोड़), विद्युत परियोजनाएं (₹ 250 करोड़) थे।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय प्राथमिक रूप से ब्याज भुगतानों, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है। **तालिका 1.16** वर्ष 2014-19 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

तालिका 1.16: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ से)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन तथा मजदूरी, जिनमें	8,418 (47)	8,174 (35)	9,682(37)	10,766(39)	11,264	11,210(36) *
आयोजनेत्तर शीर्ष	8,159	7,826	9,345	10,462	-	10,869
योजनागत शीर्ष	259	348	337	304	-	341
ब्याज भुगतान	2,849 (16)	3,155 (13)	3,359(13)	3,788(14)	4,260	4,022(13)
पेंशन	2,914 (16)	3,836 (16)	4,114(16)	4,709(17)	5,893	4,975(16)
उपदान	801 (4)	1,346 (6)	764(3)	907(3)	1,085	1,283((4)
योग	14,982	16,511	17,919	20,170		21,490
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	76	74	71	75		73
राजस्व प्राप्ति पर प्रतिशतता	83	70	69	73		69

* वेतन: ₹ 10,956 करोड़; मजदूरी: ₹ 254 करोड़

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरंतर वृद्धि पाई गई। प्रतिबद्धित व्यय में गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में ₹ 1,320 करोड़ (7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-19 के दौरान इन पर राजस्व व्यय का 71 से 76 प्रतिशत प्रभावी हिस्सा प्रयुक्त हुआ जिससे सरकार को विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने की बहुत कम गुंजाईश बची थी।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2014-15 के ₹ 8,418 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 11,210 करोड़ हो गए। विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान यह ₹ 444 करोड़ (4 प्रतिशत) बढ़ गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 36 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन पर व्यय (₹ 10,956 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए प्राक्कलनों (₹ 11,264 करोड़) के भीतर था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2014-15 के ₹ 2,914 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 4975 करोड़ हो गया तथा गत वर्ष से चालू वर्ष के दौरान यह ₹ 266 करोड़ (6 प्रतिशत) बढ़ गया। दोनों वेतन तथा पेंशन भुगतान राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत थे। यह पाया गया कि बजट / मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित पेंशन भुगतानों (₹ 5,893 करोड़) तथा वास्तविक व्यय (₹ 4,975 करोड़) के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर (₹ 918 करोड़ या 16 प्रतिशत का) था।

नई पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 15 मई 2003 के पश्चात् हुई हो, उन्हें नई पेंशन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जो सीमित अंशदान योजना है। निर्धारित प्रक्रियानुसार, नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के अंशदान, सरकारी कर्मियों हेतु प्रारम्भ में लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8342- अन्य निक्षेप-117 सीमित अंशदान योजना में जमा होंगे। तत्पश्चात् उसी वर्ष प्राधिकृत निधि प्रबंधक के माध्यम से सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार निगम यानि नेशनल सिक्वोरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड/ ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की जानी थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अंशदान से ₹ 301.95 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार के अंश के रूप में ₹ 301.95 करोड़ को मिलाते हुए, तथा अथशेष के ₹ 0.89 करोड़ को मिलाते हुए नेशनल सिक्वोरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड में कुल ₹ 603.01 करोड़ राशि स्थानांतरित की जानी थी। नेशनल सिक्वोरिटी डिपोजिटरी से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल ₹ 606 करोड़ राशि (पिछली राशि सहित) जमा की गई थी। नेशनल सिक्वोरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को पेंशन अंशदान से स्थानांतरित ₹ 606 करोड़ में से मात्र ₹ 525.43 करोड़, निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सरकारी खाते द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 0.89 करोड़ का प्रतिकूल शेष वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़ कर ₹ 1.41 करोड़ हो गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2014-15 के ₹ 2,849 करोड़ से 41 प्रतिशत बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 4,022 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹ 234 करोड़ (6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत हिस्सा थे। ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 4,129 करोड़) तथा बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए प्राक्कलनों (₹ 4,260 करोड़) से क्रमशः ₹ 107 करोड़ तथा ₹ 238 करोड़ कम था। ब्याज भुगतानों से बढ़ी हुई निकासी का कारण बढ़ी हुई व्यवसायिक उधारी थी जैसा कि परिच्छेद 1.9.2 में वर्णन किया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों/ निकायों/ निगमों को उपदानों का भुगतान कर रही है। तालिका 1.16 उपदानों में अंतरवर्षीय परिवर्तन दर्शाती है। उपदान वर्ष 2014-15 के ₹ 801 करोड़ से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,283 करोड़ हो गए। वर्ष 2018-19 के दौरान उपदानों में ₹ 376 करोड़ की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व प्राप्तियों का चार प्रतिशत था। उपदानों के प्रमुख घटक ऊर्जा (₹ 574 करोड़) खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 300 करोड़) परिवहन (₹ 160 करोड़) तथा कृषि (₹ 87 करोड़) रहे।

बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ब्याज भुगतानों व पेंशन के अधिक अनुमान सही नहीं थे, क्योंकि यह प्रतिबद्धित देयताएं हैं तथा इनका पहले से सही-सही मूल्यांकन किया जा सकता था। जिसके कारण राजस्व व्यय के अनुमान भी अधिक लगाए गए थे तथा जो राजकोषीय परिवर्ती कारकों यानि राजस्व व राजकोषीय घाटों के अधिक अनुमान में परिणत हुआ।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों को जारी सहायता-अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी सहायता अनुदानों का विवरण

संस्था का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पंचायती राज संस्थाएं	780.89(139)	427.34(-45)	696.64(63)	567.75(-19)	746.91(31.56)
शहरी स्थानीय निकाय	202.24(-28)	319.54(58)	544.66(70)	257.78(-53)	488.52(89.51)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	53.81(-16)	125.63(133)	150.84(20)	164.01(9)	184.40(12.43)
स्वायत्त निकाय	502.17(41)	641.87(28)	759.23(18)	799.08(5)	930.45(16.44)
शिक्षा	341.89(54)	341.40(-)	479.47(40)	492.21(3)	561.56(14.09)
अन्य संस्थान	275.18(48)	756.50(175)	726.14(-4)	614.62(-15)	722.11(17.49)
योग	2,156.18 (50)	2,612.28 (21)	3,356.98(29)	2,895.46(-14)	3,633.95(26)
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	10.90	11.71	13.25	10.70	12.35
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	12.08	11.14	12.78	10.58	11.74

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को दिए गए अनुदानों में सभी वर्षों की तुलना में निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, किन्तु वर्ष 2017-18 को छोड़ कर, जहां यह मुख्य रूप से योजनागत अनुदानों के अंतर्गत 2016-17 की अपेक्षा 461.52 करोड़ (14 प्रतिशत) घट गए। वर्ष 2018-19 के दौरान, इसमें गत वर्ष से ₹ 738.49 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता-अनुदानों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से स्थानीय शहरी निकायों (₹ 230.74 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 179.16 करोड़), स्वायत्त निकायों (₹ 131.37 करोड़) तथा अन्य विकासात्मक एजेन्सियों (₹ 107.49 करोड़) इत्यादि को अधिक अनुदान देने के कारण हुई। वर्ष 2014-19 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को दिए अनुदान, राज्य के राजस्व व्यय का 11 से 13 प्रतिशत के मध्य रहे।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस क्षेत्र को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर श्रेणी व्यय अनुपात) से सम्बद्ध कहा जा सकता है।

चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष मानते हुए विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.18 तथा चार्ट 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: 2014-15, 2017-18 व 2018-19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता


(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता सूचक	2014-15		2017-18		2018-19	
	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	26.00	22.48	25.86	22.93	26.73	22.72
विकास व्यय# / कुल व्यय	66.76	66.15	64.17	64.18	64.82	66.13
सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	36.27	35.08	34.99	36.66	35.75	36.73
आर्थिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	30.49	31.07	29.18	27.52	29.08	29.39
पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.46	10.88	15.73	12.00	15.69	13.29
शिक्षा/ कुल व्यय	18.52	18.81	18.04	19.29	18.21	17.97
स्वास्थ्य/ कुल व्यय	5.60	5.71	6.22	6.41	6.48	6.49

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के तहत संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, 1 अगस्त 2019 तक सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध तथा राज्यों से प्राप्त सूचना।

चार्ट 1.12: वर्ष 2018-19 हेतु लोक व्यय में प्राथमिकता का प्रतिशत



- विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सभी वर्षों (2014-15, 2017-18 व 2018-19) में कम था।
- राज्य ने 2018-19 में शिक्षा के लिए पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी (17.97 प्रतिशत) तथा पिछले वर्ष (19.29 प्रतिशत) की अपेक्षा कुल व्यय से इसका प्रतिशत 1.32 प्रतिशत अंकों से घट गया।
- राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात विगत वर्ष (12 प्रतिशत) से 2018-19 के दौरान (13.29 प्रतिशत) थोड़ा सा बढ़ गया था (1.29 प्रतिशत अंक) किन्तु यह विशेष श्रेणी राज्य के अनुपात (15.69 प्रतिशत) से कम (2.40 प्रतिशत अंक) था।

राज्य सरकार को शिक्षा तथा पूंजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विकास को बल मिले।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.19 राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान विकास व्यय तथा विगत वर्ष के व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: विकास व्यय

विकास व्यय के संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
कुल व्यय	22,734	25,630	32,133*	31,312	--	34,493
विकास व्यय	15,038 (66)	16,729 (65)	22,180* (69)	20,097 (64)	27,134	22,810 (66)
(क) विकास राजस्व व्यय	12,174 (54)	13,505 (53)	15,606 (49)	16,034 (51)	22,571	17,994 (52)
(ख) विकास पूंजीगत व्यय	2,390 (11)	2,776 (11)	3,291 (10)	3,564 (11)	4,128	4,356 (13)
(ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	474 (2)	448 (2)	3,283* (10)	499 (2)	435	460 (1)

कोष्ठकों के आंकड़ें कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कोम को दिए गए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण शामिल

सकल विकास व्यय में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में 51.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल व्यय में इसका अंश विगत वर्ष की अपेक्षा दो प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश औसतन 52 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान विकास राजस्व व्यय में 12.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल व्यय में इसका हिस्सा गत वर्ष से एक प्रतिशत बढ़ गया। यद्यपि, बजट अनुमान

की तुलना में विकास व्यय पर किया गया वास्तविक व्यय ₹ 4,324 करोड़ (16 प्रतिशत) कम रहा। यह प्राथमिक रूप से विकास राजस्व व्यय के अंतर्गत ₹ 4,577 करोड़ (सामान्य: ₹ 2,006 करोड़ व आर्थिक सेवाएं: ₹ 2,571 करोड़) का कम व्यय होने के कारण हुआ।

विकास पूंजीगत व्यय में 2014-15 से 2018-19 तक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई तथा यह वर्ष 2014-15 के ₹ 2,390 करोड़ से ₹ 1,966 करोड़ बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 4,356 करोड़ हो गया। कुल व्यय में इसका हिस्सा गत वर्ष की अपेक्षा 2018-19 के दौरान दो प्रतिशत बढ़ गया।

तालिका 1.20: विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2017-18	31,312	सामाजिक सेवाएं	10,337	1,135	3.62	6,439 (62)	1,125 (11)
		आर्थिक सेवाएं	5,697	2,429	7.76	2,325 (41)	1,529 (27)
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)			16,034	3,564		8,764	2,654
2018-19	34,493	सामाजिक सेवाएं	11,482	1,187	3.44	6,750(59)	1,063(9)
		आर्थिक सेवाएं	6,512	3,169	9.19	2,392(37)	1,495(23)
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)			17,994	4,356		9,142	2,558

कोष्ठकों के आंकड़े क्षेत्र में राज्य व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे व वाऊचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण डाटा।

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय में, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 311 करोड़ (5 प्रतिशत) एवं ₹ 67 करोड़ (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय ₹ 62 करोड़ (6 प्रतिशत) घट गया और आर्थिक सेवाओं में ₹ 34 करोड़ (2 प्रतिशत) बढ़ गया।

आगे यह देखा गया कि सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का प्रतिशत अनुपात 2018-19 के दौरान क्रमशः तीन तथा नौ प्रतिशत पर सीमित हो गया। यद्यपि, वर्ष 2018-19 के दौरान आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत यह गत वर्ष की अपेक्षा 1.43 प्रतिशत बढ़ गया।

दोनों सेवाओं (सामाजिक व आर्थिक) में राजस्व व्यय (₹ 9,142 करोड़) से वेतन एवं मजदूरी का अंश 2017-18 (₹ 8,764 करोड़) की तुलना में 2018-19 में ₹ 378 करोड़ बढ़ गया। वेतन एवं मजदूरी में सामाजिक क्षेत्र में 4.82 प्रतिशत तथा आर्थिक क्षेत्र में 2.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दोनों सेवाओं (सामाजिक व आर्थिक) में परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय राजस्व व्यय के सापेक्ष 2017-18 (₹ 2,654 करोड़) की तुलना में 2018-19 (₹ 2,558 करोड़) में ₹ 96 करोड़ घट गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इससे पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता हेतु परिवर्तन के दौरान राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए। राज्य को वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित कदम उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के

दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं/कार्य

31 मार्च 2019 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभाग-वार जानकारी वित्तीय लेखा के परिशिष्ट-IX में दर्शाई गई है जिसे तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभागवार रूपरेखा

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं/ कार्यों की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	पूंजीगत/ कार्यों की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2019 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	06	88.90	16.36*	83.52
लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कों)	04	185.41	अनुपलब्ध	97.03
योग	10	274.31		180.55

(₹ करोड़ में)

स्रोत: वित्त लेखे।

* केवल एक पूंजीगत कार्य की संशोधित लागत।

10 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों पर ₹ 180.55 करोड़ के व्यय (मार्च 2019) करने के पश्चात् परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं हुए। इन कार्यों को मार्च 2017 से मार्च 2019 के मध्य पूर्ण किया जाना था।

कार्यों के पूर्ण होने में हो रहे विलम्ब ने न सिर्फ व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभों एवं आर्थिक विकास से भी वंचित रखा।

राज्य सरकार को अपूर्ण कार्यों के समय पर पूर्णता हेतु दिशा-निर्देश बनाने चाहिए तथा चूकों को कम से कम करने एवं समय व लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्यों के निष्पादन की भौतिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी रखनी चाहिए।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार ने संविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉफ कम्पनियों तथा सहकारी सोसायटियों में ₹ 3,849 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.22)। वर्ष 2014-19 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल 6.14 प्रतिशत था जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2014-19 के दौरान अपने उधारों पर 7.76 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.22: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अथ शेष (₹ करोड़ में)	3,025	2,732	3,041	3,294	3,533
वर्ष के दौरान निवेश (₹ करोड़ में)	(-) 293	309	253	239	316
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	2,732	3,041	3,294	3,533	3,849
प्रतिफल* (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	171.00	111.94	289.63	255.58	181.91
प्रतिफल (प्रतिशत में)	6.26	3.68	8.79	7.23	4.73
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (ब्याज भुगतान/ विगत दो वर्षों की राजकोषीय देयताओं का औसत) (प्रतिशत में)	7.91	7.95	7.60	7.71	7.64
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत में)	1.65	4.27	(-) 1.19	0.48	2.91
लागत में अंतर (सरकारी उधारों पर ब्याज दर व निवेशों पर प्रतिफल के मध्य) (₹ करोड़ में)	45.08	129.85	लागू नहीं	16.96	112.01

स्रोत: वित्त लेखे।

*प्रतिफल, निवल वर्तमान मूल्य पर आधारित न होकर ऐतिहासिक लागत पर आधारित है।

विगत पांच वर्षों में, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में राज्य सरकार के उधारों की लागत तथा निवेशों के प्रतिफल में ₹ 303.90 करोड़ का अन्तर था।

राज्य सरकार के निवेश में गत वर्ष 2017-18 (₹ 3,533 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 3,849 करोड़) में 8.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निवेशों पर प्रतिफल 2017-18 (₹ 255.58 करोड़) से 2018-19 (₹ 181.91 करोड़) में 28.82 प्रतिशत घट गए। गत पांच वर्षों से लाभांश का मुख्य अशंदाता सतलुज जल विद्युत निगम सीमित रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 181.91 करोड़ के कुल लाभांश में से ₹ 179.35 करोड़ (99 प्रतिशत) सतलुज जल विद्युत निगम सीमित से प्राप्त हुए।

वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 85 प्रतिशत का निवेश, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (₹ 160 करोड़) हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 59 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 50 करोड़) में किया गया था। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित 2016-17 तक ₹ 36.87 करोड़, हिमाचल पथ परिवहन निगम 2017-18 तक ₹ 1,232.48 करोड़, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित 2016-17 तक ₹ 2,043.84 करोड़ की हानियां संचित की थीं।

1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

i. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2019 तक, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 14,375.71 करोड़ के हुए निवेश (प्रदत्त पूंजी, तथा दीर्घावधि ऋण) तालिका 1.23 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.23 प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम*			सकल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील	3,562.41	9,609.62	13,172.03	879.06	244.83	1,123.89	14,295.92
अकार्यशील	19.64	60.15	79.79	0	0	0	79.79
योग	3,582.05	9,669.77	13,251.82	879.06	244.83	1,123.89	14,375.71

*हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुरक्षित निवेश आंकड़ों और वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़े जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बताया गया था, उनके मध्य अन्तर था, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में वर्णित है। आंकड़ों के मध्य अन्तर कई सालों से बना हुआ है। राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ऐसी विसंगतियों के सुधारने के लिए आवधिक मिलान प्रारम्भ करना चाहिए।

31 मार्च 2019 तक, कुल निवेशों का 99.44 प्रतिशत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में था जबकि शेष 0.56 प्रतिशत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में था। सकल निवेश का 31.03 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी के रूप में निवेश था, जबकि 68.97 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में था।

राज्य सरकार की लाभांश नीति (अप्रैल 2011) के अनुसार सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कल्याण व यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) कर के पश्चात् लाभ का 50 प्रतिशत सीमांकन तक, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करेंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार, सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 34.24 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था। न्यूनतम लाभांश से देय ₹ 3.72 करोड़ में से 2018-19 के दौरान मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग

निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित) ने ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया अथवा चुकाया। शेष चार कम्पनियों ने राज्य सरकार को किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया (परिशिष्ट 1.8)।

ii. घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया है, को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेश:

राज्य सरकार ने 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छ: घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित जिनका विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिया गया है) में ₹ 4,328 करोड़ का निवेश किया, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसकी परिशिष्ट 1.9 में विवेचना की गई है। लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में तथा इनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेशों को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया और निधियों को जिस प्रयोजन के लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुआ अथवा नहीं। अतः इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के निवेश को राज्य विधायिका की संवीक्षा से बाहर रखा गया।

राज्य सरकार भारी घाटा करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा पर विचार कर सकती है तथा जैसा भी मामला हो, उनके पुनरूद्धार या बंद करने के लिए रणनीतिक योजना बना सकती है।

1.8.2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2019 तक आरम्भ की गई 27 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से नौ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (लागत ₹ 176.50 करोड़) पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 18 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 1,339.50 करोड़) कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.11 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। गत पांच वर्षों के दौरान बकाया ऋणों व अग्रिमों का तथा ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अथशेष*	1,913	2,346	2,784	6,044	6,507
वर्ष के दौरान दी गई राशि	474	463	3,290*	503	468
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	41	25	30	40	22
अंत शेष*	2,346	2,784	6,044	6,507	6,953
निवल वृद्धि	433	438	3,260	463	446
ब्याज प्राप्तियां	65	53	80	256	272
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.77	1.90	1.32	3.93	3.91
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	8.41	8.26	8.15	8.02	7.88
प्राप्त ब्याज दर और चुकाए ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में)	(-) 5.64	(-) 6.36	(-) 6.83	(-) 4.09	(-) 3.97

स्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 से, अथशेष में उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ऋण के रूप में दिए ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल ₹ 468 करोड़ के अग्रिम दिए गए थे, जिसमें से बड़ा भाग (₹ 415.93 करोड़) विद्युत परियोजनाओं को दिया गया था। वर्ष के दौरान मात्र ₹ 22 करोड़ की वसूली की गई। 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की कुल राशि ₹ 6,953 करोड़ थी। सरकार द्वारा उधारों पर चुकाए गए ब्याज के प्रतिशत तथा बकाया ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज के प्रतिशत के मध्य बड़ा अन्तर था। पिछले वर्षों से वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्राप्त ब्याज तथा चुकाए गए ब्याज के प्रतिशत के मध्य अन्तर में गिरावट (क्रमशः 4.09 तथा 3.97 प्रतिशत) उदय योजनांतर्गत डिस्कॉम को (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) दिए ऋण (2016-17) से प्राप्त ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

1.8.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के संचालन एवं वित्तीय दक्षता के उन्नयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय स्थिति में बदलाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रस्तुत की (नवम्बर 2015)। राज्यों को 30 सितम्बर 2015 को 75 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण दो वर्षों में अर्थात् डिस्कॉम ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में लेना था।

चुकौती कार्यक्रम के अनुसार डिस्कॉम द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को मूलधन की चुकौती के साथ ही ब्याज को, चुकाने का दायित्व होगा (हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय योजना के तहत बॉण्ड-धारकों को मूल तथा ब्याज भुगतान तिथि के 15 दिन पूर्व)। देय तिथि पर मूलधन/ब्याज का भुगतान करने में डिस्कॉम के असफल होने की स्थिति में, डिस्कॉम को विलम्बित अवधि हेतु चूक की राशि (डिफॉल्ट राशि) पर दो प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा।

उदय बॉण्डों ने प्रतिवर्ष 7.88 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज लिया। इन बॉण्डों के पास मूलधन चुकाने हेतु पांच वर्षों की ऋण-स्थगन अवधि है तथा चुकौती 2022-23 से प्रारंभ होगी। मूलधन को 2031-32 तक ₹ 289.05 करोड़ प्रति वर्ष की 10 बराबर किश्तों में चुकाया जाना है। ₹ 227.78 करोड़ की वार्षिक ब्याज देयता वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हो कर प्रति वर्ष 28 अगस्त तथा 28 फरवरी में अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगी।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में डिस्कॉम के 30 सितम्बर 2015 तक के सम्पूर्ण बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) के 75 प्रतिशत (₹ 2,890.50 करोड़) को ग्रहण करने के लिए भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (डिस्कॉम) के मध्य 08 दिसम्बर 2016 को त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन किया। त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय बॉण्ड (7.88 प्रतिशत) जारी करके ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि का धन जुटाया और 2016-17 के दौरान इन निधियों को डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया। डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का यह ऋण, वर्ष 2020-21 में अनुदानों (₹ 2,167.50 करोड़) तथा इक्विटी (₹ 723 करोड़) में रूपांतरित होना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ की वसूली की तथा बांड धारकों को ₹ 227.78 करोड़ संवितरित किए।

1.8.5 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में नकद शेष में से किए गए निवेशों व नकद शेष के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2019 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)540.68	(-)49.58	491.10
योग	(-)540.68	(-)49.58	
नकद शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	723.72	102.09	(-)621.63
योग (क)	183.04	52.51	(-)130.53
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टर आदि के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
चिन्हित निधियों का निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
योग (ख)	0.19	0.19	शून्य
योग (क+ख)	183.23	52.70	(-)130.53

वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष वर्ष 2017-18 के ₹ 183.23 करोड़ से ₹ 130.53 करोड़ गिर कर वर्ष 2018-19 में ₹ 52.70 करोड़ पर पहुंच गया। नकद शेष से किया गया निवेश ₹ 723.72 करोड़ से घट कर ₹ 102.09 करोड़ रह गया। 2018-19 के दौरान नकद शेष निवेश से वसूला गया ₹ 66.90 करोड़ का ब्याज वर्ष 2017-18 के दौरान वसूली किए गए ₹ 81.13 करोड़ के ब्याज की तुलना में ₹ 14.23 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा, 1 फरवरी 2016 से ₹ 550 करोड़ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने की एवज में विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार 346 दिनों तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पाई। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 19 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिमों से ₹1,495.93 करोड़ लेने पड़े जिनकी अदायगी कर दी गई थी तथा वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर कोई अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष बकाया नहीं थे।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संघटक एवं वृद्धि

सरकार की विद्यमान लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी ही 31 मार्च 2019 तक के देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के 31 मार्च 2018 के तदनुसूची तुलनात्मक स्थिति के सार को **परिशिष्ट 1.4 (भाग-ख)** में दर्शाया गया है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2018-19 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,899.03 करोड़ (11.93 प्रतिशत) बढ़ीं जबकि देयताएं ₹ 3,382 करोड़ (6.57 प्रतिशत) बढ़ीं। देयताओं के सापेक्ष वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुपात 2017-18 के 80 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं


राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं (मुख्य रूप से आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से ऋण व अग्रिम मिलाकर) तथा लोक लेखा देयताएं (लोक लेखा के शेष) शामिल होती हैं।

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को तालिका 1.26 तथा चार्ट 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2014-15 से 2018-19 तक कुल राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति

राजकोषीय देयताओं के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	24,658	26,861	31,494	33,591	35,363
केन्द्र सरकार से ऋण (₹ करोड़ में)	1,071	1,049	1,076	1,079	1,062
लोक लेखा देयताएं (₹ करोड़ में)	12,463	13,287	14,674	16,360	17,874
योग	38,192	41,197	47,244	51,030	54,299
वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.71	7.87	14.68	8.01	6.41
राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.37	0.36	0.38	0.37	0.36
राजस्व प्राप्तियां	2.14	1.76	1.80	1.86	1.75
स्वयं के संसाधन	4.76	4.83	5.40	5.39	5.22
राजकोषीय देयताओं की उत्पादकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.34	0.78	1.54	0.88	0.57
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.94	0.25	1.22	1.91	0.49
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.79	1.23	5.62	0.98	0.65

चार्ट 1.13: बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक (2014-19) (₹ करोड़ में)



वर्ष 2018-19 के दौरान (चार्ट 1.13), समेकित निधि देयताओं (₹ 36,425 करोड़) में, बाजार ऋण (₹ 23,682 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,062 करोड़) एवं अन्य ऋण (भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूति के ₹ 6,097 करोड़ सहित ₹ 11,681 करोड़) सम्मिलित थे तथा लोक लेखा देयताओं (₹ 17,874 करोड़) में लघु बचतों व भविष्य निधियां आदि (₹ 14,349 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं व ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 3,207 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 318 करोड़) सम्मिलित थी।

राज्य की सकल राजकोषीय देयताएं 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2014-15 के ₹ 38,192 करोड़ से ₹ 16,107 करोड़ बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 54,299 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण आन्तरिक ऋण (₹ 10,705 करोड़) तथा लोक लेखा देयताओं (₹ 5,411 करोड़) में वृद्धि थी। ये देयताएं 2018-19 की समाप्ति पर राजस्व प्राप्तियों के 1.75 गुणा तथा स्वयं के राजस्व संसाधनों की 5.22 गुणा थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर में 2016-17 के 14.68 प्रतिशत से 2018-19 के 6.41 प्रतिशत तक निरंतर गिरावट पाई गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं के अनुपात में भी 2016-17 के 38 प्रतिशत से 2018-19 में 36 प्रतिशत की घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, किन्तु यह फिर भी 14वें वित्त आयोग के अनुशंसित मानदण्डों (31.99 प्रतिशत) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (35 प्रतिशत) से उच्च थी।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

वर्ष 2018-19 की शुरुआत में, आरक्षित निधि ₹ 325.03 करोड़ थी। 2018-19 के दौरान ₹ 500.34 करोड़ जमा हुए तथा ₹ 507.77 करोड़ का संवितरण हुआ, 31 मार्च 2019 तक ₹ 317.60 करोड़ (जमा) का अंत शेष था। इसमें से ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि ₹ 1 करोड़ (जमा) ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियां ₹ 316.60 करोड़ (जमा) थी।

12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें, जो हैं (i) बकाया देयताओं के ऋण शोधन तथा उनके द्वारा मुक्त बाजार से प्राप्त ऋणों की ऋण मुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताएं की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि। इन निधियों की स्थिति निम्नांतर्गत दर्शाई गई है:

1.9.3.1 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से निधि (समेकित ऋण शोधन) में वार्षिक अंशदान करे। तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 51,030 करोड़ थी। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो 2018-19 में निधि के प्रति राज्य सरकार की देयता ₹ 255.15 करोड़ (गत वर्ष की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) होती जो दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष में इस सीमा तक अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। फलतः, 31 मार्च 2019 तक राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 21.97 करोड़ की सीमा तक न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.3 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

13वें वित्त आयोग ने अनुशंसाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु निधियों का प्रावधान किया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से 90:10 के आनुपातिक भाग में निधियों का अंशदान अपेक्षित है। इस सम्बंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि शेष निधियों को निर्दिष्ट निमित्तों में निवेश करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित शेषों पर अधिविकर्ष पर लागू दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करना राज्य सरकार से भी अपेक्षित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु केन्द्र सरकार से अंशदान के रूप में ₹ 245.70 करोड़ (90 प्रतिशत) प्राप्त किए। राज्य सरकार ने इस अंशदान में स्वयं के ₹ 27.35 करोड़ के हिस्से के प्रति ₹ 26.00 करोड़ अवमुक्त किए। 31 मार्च 2019 तक ₹ 281.53 करोड़ के कुल कोष (₹ 8.48 करोड़ के अधिशेष में प्रमुख शीर्ष 2245-राहत से हस्तांतरित ₹ 273.05 करोड़ सहित) में से राज्य सरकार ने ₹ 1 करोड़ निधि में छोड़ते हुए प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय में ₹ 280.53 करोड़ समायोजित किए।

दिशा-निर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में उपलब्ध निधि से अधिक व्यय की आवश्यकता होती है तो वे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से तत्काल राहत सहायता प्राप्त करे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत ₹ 227.29 करोड़ प्राप्त किए तथा 31 मार्च 2019 तक निधि में ₹ 0.92 करोड़ की अव्ययित निधियों (₹ 0.87 करोड़ का अधिशेष + ₹ 227.29 करोड़ - ₹ 227.24 करोड़) को छोड़ते हुए, ₹ 227.24 करोड़ का व्यय किया।

31 मार्च 2019 तक, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेष ₹ 1.92 करोड़ (₹ 1.00 करोड़ + ₹ 0.92 करोड़) निवेशित नहीं किए थे। यदि इन निधियों को सरकार द्वारा निवेश किया होता तो ₹ 0.15 करोड़ का ब्याज अर्जित किया होता।



1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियां⁴ आकस्मिक देयतायें हैं।

⁴ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

वित्त लेखे के विवरणी-20 के अनुसार विगत पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तथा राजस्व प्राप्तियों से उनका प्रतिशत चार्ट 1.14 व 1.15 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान (2018-19) कोई गारंटी आमंत्रित नहीं की गई थी। 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया गारंटी की राशि ₹ 4,309 करोड़ थी। यद्यपि, ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे अद्यतन नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों का मिलान नहीं किया था, इसलिए वित्त लेखों में दर्शाए आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के मध्य ₹ 9.24 करोड़ का अन्तर पाया गया (परिशिष्ट 1.7)। वे मुख्य प्राप्तकर्ता, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई, वे थे- विद्युत (₹ 3,690.50 करोड़), सहकारी बैंक (₹ 288.29 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 187.29 करोड़) इत्यादि। वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अधिकतम गारंटी राशि (₹ 4,309 करोड़)

राज्य के विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की 15.7 प्रतिशत रही, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्यों के भीतर थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.27 विगत पांच वर्षों हेतु राज्य सरकार की ऋण रूपरेखा का समय-श्रृंखला विश्लेषण देती है।

तालिका 1.27: 31 मार्च 2019 तक ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आन्तरिक ऋण	24,658 (96)	26,861 (96)	31,494 (97)	33,591 (97)	35,363 (97)
	(i) बाजार ऋण	15,196 (59)	16,860 (60)	19,023 (59)	21,574 (62)	23,682 (65)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	285 (1)	--	--	--	--
	(iii) अधिविकर्ष	249 (1)	--	--	--	--
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,252 (9)	2,350 (8)	5,321 (16)	5,382 (16)	5,584 (15)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	6,676 (26)	7,651 (28)	7,150 (22)	6,635 (19)	6,097 (17)
2.	भारत सरकार से ऋण	1,071 (4)	1,049 (4)	1,076 (3)	1,079 (3)	1,062 (3)
कुल लोक ऋण:		25,729	27,910	32,570	34,671*	36,425
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
	0 - 1	2,046 (8)	2,268 (8)	3,096 (9)	3,181 (9)	3,257 (9)
	1 - 3	4,837 (19)	6,236 (22)	5,729 (18)	4,644 (13)	5,726 (16)
	3 - 5	4,929 (19)	4,331 (16)	4,279 (13)	5,043 (15)	6,415 (17)
	5 - 7	3,192 (12)	4,339 (16)	4,952 (15)	6,469 (19)	6,586 (18)
	7 या उससे ऊपर	10,725 (42)	10,736 (38)	14,514 (45)	15,334 (44)	14,441 (40)

* ₹ 34,671 करोड़ = ₹ 33,591.47 करोड़ (आंतरिक ऋण) + ₹ 1,079.43 करोड़ (भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम)
कोष्ठक में आंकड़े कुल लोक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

कुल लोक ऋण 2014-15 के ₹ 25,729 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 36,425 करोड़ हो गया जिसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 9.60 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2014-15 के 59 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 65 प्रतिशत हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2018-19) के दौरान कुल लोक ऋण पांच प्रतिशत बढ़ गया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लिए गए तथा चुकाए किए गए बाजार ऋण का संघटन चार्ट 1.17 व 1.18 में दिया गया है:



ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता को सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁵ को निर्धारित करते हैं। पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों के प्रवाहों का विश्लेषण तालिका 1.28 में दिया गया है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया लोक ऋण (₹ करोड़ में)	25,729	27,910	32,570	34,671	36,425
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.33	8.48	16.70	6.45	5.06
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103,772	114,239	125,122	136,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.79	24.43	26.03	25.39	23.99
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,029	2,244	2,459	2,829	2,958
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/लोक ऋण का अथ शेष+ लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.31	8.37	8.13	8.41	8.32
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	11.37	9.57	9.36	10.34	9.56
लोक ऋण चुकौती (अर्थोपाय अग्रिम सहित) (₹ करोड़ में)	8,260	3,948	3,943	3,500	4,673
लोक ऋण प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिम सहित) (₹ करोड़ में)	10,877	6,129	8,603	5,600	6,427
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण चुकौतियों की प्रतिशतता	75.94	64.42	45.83	62.50	72.71
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण *(₹ करोड़ में)	588	(-) 63	2,201	(-) 729	(-) 1,204

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे

* राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की गई।

ऋण धारणीयता का विश्लेषण ई.डी. डोमर⁶ (डोमर, 1944) के एक अध्ययन के आधार पर किया गया। डोमर मॉडल के अनुसार लोक ऋणग्रस्तता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकार के ऋणों की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोक ऋण की गतिशीलता, ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा आरंभिक प्राथमिक बजट शेष पर निर्भर करती है जो इस प्रकार है:

जी-आर (जी- वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर -वास्तविक ब्याज दर)	एस < शून्य (प्राथमिक घाटा)	एस > शून्य (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > शून्य (मजबूत आर्थिक विकास)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर में स्थिर हो जाएगा।	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण लोक बचतों की ओर अग्रसर होते हुए शून्य के नीचे एक स्तर पर स्थिर हो जाएगा।
जी-आर < शून्य (धीमा आर्थिक विकास)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ता रहेगा।	अनिर्धारित स्थिति

⁵ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

⁶ डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा, संघटन और जोखिम लक्षणों पर काम नहीं करता है।

विश्लेषण को हिमाचल प्रदेश पर लागू करने के परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:


वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
2014-15	7.48	2.86	4.62	(-) 1,351	जी-आर > शून्य एवं एस < शून्य; लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जाएगा
2015-16	8.10	5.74	2.36	990	जी-आर > शून्य एवं एस > शून्य; लोक ऋण बचतें करते हुए शून्य से कम स्तर पर स्थिर हो जाएगा।
2016-17	7.03	2.21	4.82	441	
2017-18	6.51	4.11	2.40	(-) 82	जी-आर > शून्य एवं एस < शून्य; लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जाएगा।
2018-19	7.29	9.69	(-) 2.40	510	जी-आर < शून्य एवं एस > शून्य; अनिर्धारित स्थिति


वास्तविक विकास दर वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर संगणित की गई है।
वास्तविक ब्याज दर में मुद्रास्फिति समायोजन के पश्चात् सामान्य ब्याज दर है।

14वें वित्त आयोग के लक्ष्य के अनुसार ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 31.99 प्रतिशत थी तथा राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत थी। मानदण्डात्मक लक्ष्यों से राज्य के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक था तथा राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात मानदण्डात्मक लक्ष्यों से कम था।

वर्ष 2018-19 की अवधि को छोड़कर डोमर अन्तर (डोमर गैप)(जी-आर) 2014-15 से 2017-18 के सभी वर्षों में धनात्मक रही। यद्यपि, वर्ष के दौरान राज्य का प्राथमिक अधिशेष था। इस प्रकार डोमर मॉडल के अनुसार लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान पूर्ण कर लिए थे। यह इस तथ्य से पता चलता है कि विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ऋण अनुपात लगभग 24 से 26 प्रतिशत थे तथा स्थिर रहे।

फिर भी अन्य कारक जैसे कि लोक लेखा देयताएं एवं वर्तमान कोरोना वायरस संकट जैसी अप्रत्याशित घटना व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसके प्रभाव, और/या राजस्व की अन्य कोई असूचीबद्ध हानियां, जिनका सांख्यिकीय अनुमान अथवा निर्धारण नहीं किया जा सकता, उनकी भी राज्य की ऋण धारणीयता/स्थिरता के आंकलन में गणना होनी चाहिए; अतः इन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।







- बकाया लोक ऋण की तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2014-19 के दौरान अंतर वर्षीय विचलन दर्शाती है। गत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर 1.39 प्रतिशत अंक घट गई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.07 प्रतिशत बढ़ गई। 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण में उच्च दर पर वार्षिक वृद्धि हुई।
- 2014-19 के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 8.32 प्रतिशत रही।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2017-18 के 10.34 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 9.56 प्रतिशत हो गया।
- 2014-19 के दौरान ऋण प्राप्तियों का 45.83 से 75.94 प्रतिशत चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किया गया। 2018-19 के दौरान, 72.71 प्रतिशत उधारीकृत निधियों का उपयोग, मौजूदा देयताओं के निर्वहन में किया गया।
- 2014-19 के दौरान, ब्याज और चुकौती करने के पश्चात्, भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक कर्ज, ऋण व अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों के माध्यम से उपलब्ध शुद्ध निधियों में ऋणात्मक ₹ 63 करोड़ तथा धनात्मक ₹ 2,201 करोड़ के मध्य की भिन्नता पाई गई। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को उपलब्ध निवल ऋण ऋणात्मक ₹ 1,204 करोड़ था।

ऋण चुकौती सारणी (मूल तथा ब्याज)

लोक ऋण तथा बाजार ऋणों की उदय बांड के साथ चुकौती सारणी

राज्य के लोक ऋण एवं बाजार ऋणों की उदय बांड के साथ चुकौती सारणियों को चार्ट 1.23 व 1.24 में नीचे दर्शाया गया है:



टिप्पणी: (i) परिपक्वता रूपरेखा 31 मार्च 2019 तक बकाया लोक ऋणों हेतु दर्शाई गई है तथा ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण मुक्त होने वाले हैं, तक 8.31 प्रतिशत (2014-19 के दौरान बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर) से की गई है।

(ii) परिपक्वता रूपरेखा को 31 मार्च 2019 तक बकाया बाजार ऋणों हेतु दिखाया गया है तथा ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण मुक्त होने वाले हैं, तक की गई है।

लोक ऋण देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा (**चार्ट 1.23**) दर्शाती है कि राज्य को अगले पांच वित्तीय वर्षों में यानि 2023-24 तक ₹ 27,992.97 करोड़ के लोक ऋण (मूलधन: ₹ 15,398.35 करोड़ व ब्याज: ₹ 12,594.62 करोड़) की अदायगी करनी है। इसमें से ₹ 21,237.84 करोड़ (मूलधन: ₹ 12,515.20 करोड़ व ब्याज: ₹ 8,722.66 करोड़) यानि 75.87 प्रतिशत बाजार ऋणों तथा उदय बांड (**चार्ट 1.24**) के चुकाने है। आगामी पांच वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2028-29 तक, ₹ 24,120.62 करोड़ की लोक ऋण देयताएं (मूलधन: ₹ 18,510.91 करोड़ व ब्याज: ₹ 5,609.71 करोड़) तथा बाजार ऋणों व उदय बांड के ₹ 16,288.77 करोड़ (मूलधन: ₹ 12,490.25 करोड़ व ब्याज: ₹ 3,798.52 करोड़) चुकाने योग्य हो जाएंगे। इस प्रकार, आने वाले दस वर्षों में, ₹ 26,573 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों एवं उदय बांड में से, राज्य को बाजार ऋणों एवं उदय बाँड का मूलधन ₹ 25,005 करोड़ (94.10 प्रतिशत) तथा ₹ 12,521 करोड़ राशि का ब्याज चुकाना होगा।

राज्य की प्राप्ति व व्यय आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि विगत पांच वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 14.85 प्रतिशत की तथा राजस्व व्यय में 11.19 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इस वृद्धि दर को लागू करते हुए, राज्य को वर्ष 2020-21 में ₹ 4,424.89 करोड़ के राजस्व अधिशेष का प्राक्कलन किया है। क्योंकि राज्य वर्ष 2020-21 में ₹ 2,167.50 करोड़ के उदय बाँड को सहायता- अनुदान में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है, राजस्व अधिशेष में ₹ 2,257.39 करोड़ की गिरावट होगी। इसके अतिरिक्त, इसी वर्ष (2020-21) के दौरान, राज्य के ऊपर ₹ 5,648.65 करोड़ की लोक ऋण देयताएं

(मूलधन व ब्याज) होगी। अतः राज्य को अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधारियों का सहारा लेना होगा।

उपरोक्त विश्लेषण में यह माना गया है कि राज्य के पास विगत पांच वर्षों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित प्राक्कलनों के अनुसार राजस्व अधिशेष होगा। यद्यपि, विगत पांच वर्षों में से चार में, राज्य सरकार अपने इसके बजट प्राक्कलनों में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था जबकि वास्तविकता में राजस्व अधिशेष हुआ। राज्य की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि हेतु राजस्व घाटों⁷ का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020-21 में राज्य ने ₹ 684 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। यदि राज्य की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित राजस्व घाटा होता है, तो ₹ 2,167.50 करोड़ के उदय बांड को सहायता अनुदान में परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के पश्चात राजस्व घाटा ₹ 2,851.50 करोड़ हो जाएगा। राज्य को वर्ष 2020-21 में अपनी ₹ 5,648.65 करोड़ (मूलधन व ब्याज) की लोक ऋण देयताओं तक को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार लेना पड़ेगा।

उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति

2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु पूर्व उधारों, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय चुकाने के लिए उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति का वर्णन तालिका 1.29 में दिया गया है:

तालिका 1.29: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	निवल पूंजीगत व्यय*	निवल ऋण व अग्रिम संवितरित	राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त कुल उधारों का भाग
1.	2.	3.	4.	5	6 {2-(3+4+5)}
2014-15	10,877	8,260(76)	1,823(17)	433(04)	361(3)
2015-16	6,129	3,948(64)	2,181(36)	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	8,603	3,943(46)	3,499(41)	1,161(13)	लागू नहीं
2017-18	5,600	3,500(63)	2,100(37)	लागू नहीं	लागू नहीं
2018-19	6,427	4,673(73)	1,754(27)	लागू नहीं	लागू नहीं

*निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2014-15 की अवधि के अतिरिक्त ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी तथा उधारों में से ₹ 361 करोड़ की राशि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई।

⁷ 2019-20: ₹ 4,007 करोड़, 2020-21: ₹ 684 करोड़, 2021-22: ₹ 824 करोड़, 2022-23: ₹ 5,163 करोड़, 2023-24: ₹ 6,443 करोड़।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदंड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा-एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन की विवेकशीलता का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां


2014-19 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) की प्रवृत्तियों को तालिका 1.30 व चार्ट 1.25 एवं 1.26 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.30: घाटों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
घाटे					
राजस्व घाटा (-) अथवा राजस्व अधिशेष (+)	(-)1,944	1,137	920	314	1,508
राजकोषीय घाटा	4,200	2,165	2,948*	3,870	3,512
प्राथमिक घाटा (-) अथवा अधिशेष (+)	(-) 1,351	990	411	(-) 82	510
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.87	1.00	0.74	0.23	0.99
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.05	1.90	2.36	2.83	2.31
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.30	0.87	0.33	(-) 0.06	0.34

* उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये, राज्य ऊर्जा वितरण कम्पनियों डिस्कॉम्स से सम्बन्धित ऋण को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं के बाद के राजकोषीय घाटे की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।



राजस्व अधिशेष

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य के अन्तर को प्रस्तुत करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहयोग करता है। राजस्व अधिशेष, 2017-18 के दौरान ₹ 314 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 1,508 करोड़ हो गया। प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता, राज्य द्वारा व्यय सम्बंधित निर्णयों की गतिशीलता को कम करती है तथा दर्शाती है कि राज्य के पास आवश्यक प्रतिबद्ध व्ययों के पश्चात् सीमित राजस्व उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार को इस तरह के प्रतिबद्ध व्यय को कम करने और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यय पक्ष पर मध्यावधि में सुधार करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की शुद्ध वृद्धिशील देयताओं तथा इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाहरी) द्वारा या फिर लोक लेखा के अधिशेष निधि के उपयोग से पूरा किया जाता है। 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) गतवर्ष से (₹ 3,870 करोड़) ₹ 358 करोड़ घट गया।

प्राथमिक घाटा

सामान्यतः राजकोषीय घाटा, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है जब राज्यों के राजस्व लेखा में घाटा होने की स्थिति में ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण हेतु इस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ब्याज भुगतान पूर्ववर्ती दायित्वों के व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चल रहे व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखने के लिए इन भुगतानों को कुल असंतुलन से पृथक करने और कटौती करने की आवश्यकता है। राज्य की चालू वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यदि प्राथमिक घाटा है, तब इसका तात्पर्य है कि ब्याज बाहर निकालने के बाद भी राज्य में घाटे की अवस्था है, अपने उधारों पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी इसे उधार लेना पड़ेगा। यह मापदण्ड अंतर वर्षीय विचलन दर्शाते हैं: 2014-15 व 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 1,351 करोड़ व ₹ 82 करोड़), 2015-16 (₹ 990 करोड़), 2016-17 (₹ 411 करोड़) एवं 2018-19 (₹ 510 करोड़) में प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया कि समेकित ऋण शोधन निधि एवं प्रत्याभूति विमोच्च निधि में अंशदान न होने से, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज का भुगतान न होने से तथा व्यय हेतु सहायता अनुदान का व्यय/संवितरण पूंजीगत शीर्ष से होने से राजस्व अधिशेष में ₹ 277.76 करोड़ की अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 277.76 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसे नीचे तालिका 1.31 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.31: प्रभावी राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

अल्प अंतरण/अंशदान के विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	निवल प्रभाव लेने के पूर्व अनुपात		निवल प्रभाव लेने के पश्चात् अनुपात	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व अधिशेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राजस्व अधिशेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद
समेकित ऋण शोधन निधि में गैर-अंशदान	255.15	255.15	0.99	2.31	0.81	2.50
प्रत्याभूति विमोच्य निधि में गैर-अंशदान	21.97	21.97				
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज का भुगतान	0.15	0.15				
राजस्व शीर्षों के बजाय पूंजीगत शीर्षों से सहायता अनुदान के संवितरण (अनुदान संख्या 31 जनजातीय विकास) का गलत वर्गीकरण	0.49	0.49				
योग	277.76	277.76				

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व अधिशेष में 0.18 प्रतिशत बिंदू की अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में 0.19 प्रतिशत बिंदू की न्यूनोक्ति हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटे के संघटक					
1 राजस्व घाटा या अधिशेष	(-) 1,944	1,137	920	314	1,508
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 1,823	(-) 2,865	(-) 3,499	(-) 3,721	(-) 4,574
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 433	(-) 437	(-) 3,260	(-) 463	(-) 446
राजकोषीय घाटे का वित्तीय स्वरूप*					
1 बाजार उधार	1,631	1,664	2,163	2,551	2,108
2 भारत सरकार से ऋण	59	(-) 22	27	3	(-) 18
3 राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	904	975	(-) 500	(-) 515	(-) 538
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	24	(-) 436	80 [#]	61	202
5 लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,185	718	1,205	1,392	1,113
6 निक्षेप एवं अग्रिम	504	115	181	189	409
7 उच्चत एवं विविध	28	(-) 590	(-) 274	(-) 119	1
8 प्रेषण	12	148	(-) 35	69	112
9 अन्य	(-) 147	(-) 407	101	239	123
10 समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948[#]	(-) 3,870	(-) 3,512

* ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

2018-19 में राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) मुख्यतः बाजार के उधारों (60 प्रतिशत) तथा लघु बचतों, भविष्य निधियां आदि (32 प्रतिशत) के माध्यम से प्रबंधित किया गया था।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा है तथा उधारों के कुछ भाग (राजकोषीय देयताएं) के लिए कोई परिसम्पत्ति नहीं है। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.46 रहा जबकि 2015-19 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़, (2015-16), ₹ 920 करोड़ (2016-17), ₹ 314 करोड़ (2017-18) एवं ₹ 1,508 करोड़ (2018-19) के राजस्व अधिशेष की अनुभूति की (परिशिष्ट 1.3)।

प्राथमिक घाटे के द्विभाजक कारक दर्शाते हैं कि पूंजीगत व्यय (जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सुधारने हेतु वांछनीय हो) में वृद्धि होने के कारण घाटा किस सीमा तक प्रभावित हुआ है। 2014-19 की अवधि के दौरान द्विभाजक कारक जो राज्य सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत हुए वे तालिका 1.33 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.33: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर- ऋण प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (4+5+6)	8. (3-4)	9. (2-7)
2014-15	18,534	17,843	16,938	2,473	474	19,885	905	(-) 1,351
2015-16	23,466	23,440	19,149	2,864	463	22,476	4,291	990
2016-17	26,294	26,264	21,985	3,499	399	25,883	4,279	411
2017-18	27,442	27,367	23,265	3,756	503	27,524	4,102	(-) 82
2018-19	30,981	30,950	25,420	4,583	468	30,471	5,530	510

- राज्य की गैर ऋण प्राप्ति में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्ति एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां शामिल थी, जो 2014-15 के ₹ 18,534 करोड़ से 67.16 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 30,981 करोड़ हो गई जो प्राथमिक व्यय को पूरा करने में पर्याप्त थी।
- 2014-15 (₹ 905 करोड़) तथा 2017-18 (₹ 4,102 करोड़) के दौरान प्राथमिक राजस्व अधिशेष पूंजीगत लेखों के तहत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था इसके परिणामस्वरूप इन अवधियों के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

- यद्यपि, 2015-16 व 2016-17 व 2018-19 के दौरान हुआ प्राथमिक अधिशेष 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अंतरणों के भारी विचलन के कारण राज्य की प्राप्तियों में वृद्धि से हुआ; जो प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

तालिका 1.34: 2014-19 के दौरान राजकोषीय घाटे के संघटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
	राजकोषीय घाटे की संरचना	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948	(-) 3,870	(-) 3,512
1	राजस्व घाटा	(-) 1,944 (46.29)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 1,823 (43.40)	(-) 1,728 (79.81)	(-) 2,579 (87.48)	(-) 3,407 (88.04)	(-) 3,066 (87.30)
3	निवल ऋण व अग्रिम	(-) 433 (10.31)	(-) 437 (20.19)	(-) 369 (12.52)	(-) 463 (11.96)	(-) 446 (12.70)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजकोषीय घाटे में अंशदान को दर्शाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान 87 प्रतिशत राजकोषीय घाटा निवल पूंजीगत व्यय के कारण हुआ। राजकोषीय घाटे हेतु निवल पूंजीगत व्यय की भागीदारी 2014-15 के 43.40 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 88.04 प्रतिशत की बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाती है, परंतु 2018-19 में 1 प्रतिशत से थोड़ी घट गई थी, जबकि ऋणों व अग्रिमों की भागीदारी 2014-15 के 10.31 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 12.70 प्रतिशत हो गई।

1.12 मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त के महत्वपूर्ण तत्वों का सारांश नीचे दिया गया है

तालिका 1.35: महत्वपूर्ण मापदण्ड

सकारात्मक सूचक	वे मापदंड जिन्हें कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।
↑ कर भिन्न राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि	↑ स्वयं के कर राजस्व में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि
↑ पूंजीगत व्यय में 22 प्रतिशत की वृद्धि	↓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों में 45 प्रतिशत की कमी
↑ राजस्व अधिशेष में ₹ 1,194 करोड़ की वृद्धि	↑ उधारियों में वृद्धि 60 प्रतिशत लोक ऋण (मूलधन) को 7 वर्षों के भीतर चुकाना
↑ ₹ 82 करोड़ का प्राथमिक घाटा ₹ 510 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हुआ।	↑ उधार की गई निधियों के 72.71 प्रतिशत का उपयोग मौजूदा देयताओं को पूरा करने में किया जाना।
↓ राजकोषीय घाटे में ₹ 358 करोड़ की कमी	↓ विकास व्यय पर वास्तविक व्यय बजट प्राक्कलनों से ₹ 4,324 करोड़ (16 प्रतिशत) कम हुआ

1.13 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार करके राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं।

1.14 निष्कर्ष

राज्य ने 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है। राज्य 2014-15 के दौरान राजस्व घाटे में रहा; तत्पश्चात् 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय विचलनों में वृद्धि के कारण राज्य ने राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित किया। तथापि राजस्व अधिशेष में 2015-18 के दौरान लगातार गिरावट हुई; ₹ 1,137 करोड़ (2015-16), ₹ 920 करोड़ (2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18); 2018-19 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1,508 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.31 प्रतिशत रहा। 2017-18 का ₹ 82 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2018-19 में ₹ 510 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित लक्ष्यों तथा राजस्व घाटा/ अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक आंकड़ों के मध्य बड़ा अन्तर पाया गया।

2018-19 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 30,950 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 27,367 करोड़) से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। करों तथा कर-भिन्न को मिलाकर राज्य के स्वयं के संसाधनों से राजस्व प्राप्तियों के मात्र 33 प्रतिशत प्राप्त हुए, जबकि शेष 67 प्रतिशत की भागीदारी केन्द्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश (18 प्रतिशत) व भारत सरकार के सहायता अनुदान (49 प्रतिशत) को मिलाकर केन्द्रीय अंतरणों से हुई।

2018-19 के दौरान, राज्य के कुल व्यय (₹ 34,493 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 3,181 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, कुल व्यय का 85.3 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन व मजदूरी, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान तथा उपदानों पर कुल व्यय राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत रहा।

2018-19 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 4,583 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,756 करोड़) से ₹ 827 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 12 प्रतिशत से 2018-19 में 13.29 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2018-19 के दौरान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ 2,958 करोड़) सहित लोक ऋण चुकौतियां (₹ 4,673 करोड़) लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 6,427 करोड़) से ₹ 1,204 करोड़ बढ़ गए। कुल ब्याज भुगतान ₹ 4,022 करोड़ थे, जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत थे।

वर्ष की समाप्ति पर सकल राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष से छः प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 54,299 करोड़ रही। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 36 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.75 गुणा रही। सरकार के आन्तरिक ऋण 2017-18 के ₹ 33,591 करोड़ से 2018-19 के दौरान बढ़ कर ₹ 35,363 करोड़ (5.28 प्रतिशत) हो गए।

आगामी 10 वर्षों में, बाजार ऋणों एवं उदय बॉण्ड के कुल बकाया ₹ 26,573 करोड़ में से राज्य को बाजार ऋणों व उदय बॉण्ड के मूलधन के ₹ 25,005 करोड़ (94.10 प्रतिशत) एवं ₹ 12,521 करोड़ राशि के ब्याज की अदायगी करनी है।